


(37)



न्यायालय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, (क्रेम्प उज्जैन) म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

/ 2017 / पुनरीक्षण

PBR/मिगरानी/उज्जैन/स्टाम्प अधि/2017/3695

क्षेमा पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रचर कं.प्रा.लि., पता—
117, शिवांस पेराडाईज्ड आर.डी.गार्डी मेडिकल
कालेज, आगर रोड़ उज्जैन तहसील व जिला—
उज्जैन म.प्र.

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन द्वारा उप पंजीयक उज्जैन म.प्र.
पता— उप पंजीयक कार्यालय, भरतपुरी देवास
रोड़, उज्जैन म.प्र.

..... अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन


आवेदक की ओर से न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स जिला—
उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्र. 118 / बी-103/2016-17
में पारित आदेश दिनांक 03/03/2017 के विरुद्ध यह पुनरीक्षण

आवेदक श्री ~~विन्दु~~ श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 04.09.2017

अधीक्षक 04.09.17
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विशेष :- माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर
द्वारा प्रकरण क्रमांक 9782/2012 में पारित निर्णय दिनांक 17.
07.2012 (2012 आर.एन.321 समदारिया बिल्डर्स(मे.) प्रा.लि.
विरुद्ध जबलपुर विकास प्राधिकरण तथा अन्य) में पारित निर्णय
अनुसार पुनरीक्षण प्रचलन योग्य है।

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-2017	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-3-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-3-17 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 4-9-17 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश दिनांक 3-3-17 की प्रति आवेदक को भेजी गई है । इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा भी दिनांक 14-3-17 को गारंटी आहरण करते हुये राशि जमा करा दी गई है । अतः स्पष्ट है कि दिनांक 14-3-17 को आवेदक को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश की जानकारी हो गई थी । अतः यदि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को मान भी लिया जाये कि बैंक द्वारा गारंटी के आहरण से उसे जानकारी हुई, तब भी यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । अतः प्रथमदृष्टया विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से निगरानी अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p style="text-align: right;">  (मनोज गोयल) अध्यक्ष </p>